राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

पत्रांकः एफ 5(2) आ.प्र. एवं स.आ./चारा डिपो/2011/ 3400-12 जयपुर, दिनांक 17.3.11

जिला कलेक्टर,
बांसवाड़ा, डूंगरपुर।

विषय :— अभाव संवत 2067 में अभावग्रस्त जिलों के अभावग्रस्त क्षेत्रों में अनुदानित दर पर चारा वितरण हेतु चारा डिपो स्वीकृति के संबंध में दिशा—निर्देश।

महोदय,

राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्र. एफ.1(1)(4)आ.प्र.सआ/सामान्य/2010/353—68 दिनाक 15.1.2011 से आपके जिले को अभावग्रस्त घोषित किया गया है। अभावग्रस्त क्षेत्रों में पशुपालकों को अनुदानित दर पर चारा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अप्रेल, 2011 से चारा डिपो खोले जाने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है। चारा डिपो की जिलेवार निर्धारित सीमा (संख्या) पृथक से सूचित की जा रही है।

अभावग्रस्त जिलों के अभावग्रस्त क्षेत्रों में अनुदानित दर पर चारा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में विभाग द्वारा समय समय पर जारी किये गये दिशो निर्देशों के क्रम में पुनः निम्न प्रकार निर्देश जारी किये जाते है :—

1. **<u>चारा डिपो संचालक संस्थाऐं</u>**—
जिन जिलों में चारा डिपो खोले जाने की स्वीकृति दी गई है,उनमें जिला कलेक्टर द्वारा ग्राम पंचायत, ग्राम सेवा सहकारी समितियों, दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों को चारा डिपो संचालन हेतु स्वीकृति दी जाए। यदि उक्त में से कोई ऐजेंन्सी डिपो संचालन हेतु उत्सुक न हो तो जिले में कार्यरत स्वयं सेवी संस्थाओं को स्वीकृति दी जा सकती है।

2. **चारे का क्रय**—
डिपो पर चारा,संस्था द्वारा,राजस्थान के गैर अभावग्रस्त जिलों अथवा पड़ोसी राज्यों से क्रय कर वितरित किया जाए। चारे का वितरण पशु पालक को बिना लाभ—हानि के आधार पर किया जाए।

3. **चारा परिवहन अनुदान की दरें:**—
इस विभाग द्वारा जारी परिपत्र कमांक 5(9)आ.प्र. एवं स.आ./चारा/2009—10/5926—40 दिनांक 16.3.2010 अनुसार लागू होगी। तदनुसार ही डिपो पर लाये जाने वाले चारे पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार परिवहन अनुदान का भुगतान संस्थाओं को किया जाए।

4. **चारा विकय दर का निर्धारण**—
जिला कलक्टर द्वारा सरपंच, राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी की गठित समिति क्रय मूल्य के दस्तावेज देखकर परिवहन अनुदान की राशि घटाकर एवं 10 रूपये प्रति क्वि. जोडे जाकर चारे की दर का निर्धारण करेगी।

5. **चारा वितरण में छीजत**—
चारा विक्रय मूल्य का निर्धारण करते समय चारे की कीमत में 10 रू. प्रति क्विं. जोड़े जावें। इसके अतिरिक्त किसी प्रकार की चारे की छीजत, तुलाई तथा प्रशासनिक व्यय देय नहीं है।

6. **ब्याज मुक्त ऋण**—
जिला कलेक्टर द्वारा डिपो का संचालन करने वाली संस्था का निरीक्षण तथा पूर्ण सत्यापन व संतुष्टि के पश्चात चारा डिपो स्वीकृति के साथ हीं 1,00,000/— रूपये प्रति चारा डिपो के हिसाब से अग्रिम (कार्यशील पूँजी) के रूप में ब्याज मुक्त ऋण संस्था को उपलब्ध करावें व इस हेतु राशि की मांग अविलम्ब विभाग को प्रेषित करावें।

7. **चारा डिपो का स्वीकृति/सत्यापनः**—
(i) चारा वितरण के लिए चारा डिपो की स्वीकृति जिला कलेक्टर या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा की जाए, ऐसा अधिकारी अति.कलेक्टर के स्तर से कम का नहीं हो।

(ii) चारे के वितरण की तस्दीक पटवारी अथवा सरपंच/उपसरपंच अथवा ग्राम सेवक से कराई जाए।

(iii) क्रय किये गये चारे के संबंध में धर्मकांटा तोल की रसीदों का प्रमाणिकरण तथा परिवहन के संबंध में कार्य में लिये गये वाहनों का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित किया जाए तथा तत्सम्बन्धी प्रमाण-पत्र संलग्न प्रपत्र में तैयार करवाकर रिकार्ड में रखा जावे।

8. **चारा डिपो का निरीक्षण-**

(अ) जिला कलेक्टर यह भी सुनिश्चित करें कि चारा डिपो से विक्रय किये जाने वाले चारे का प्रमाणीकरण समय-समय पर डिपो पर उपलब्ध आवश्यक रिकार्ड से कराते रहें तथा क्षेत्र में चारे की उपलब्धता सुनिश्चित हो।

(ब) चारा डिपो संचालित किये जाने वाले स्थलों का जिले में पदस्थापित विभिन्न अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाए। निरीक्षण के लिए प्रतिमाह हेतु न्यूनतम मापदण्ड निम्न प्रकार से निर्धारित है:-

क्र. सं.	नाम अधिकारी	प्रतिमाह निरीक्षण किये जाने वाले चारा डिपो	कार्य क्षेत्र
1.	तहसीलदार/विकास अधिकारी	25%	तहसील/पं. समिति
2.	उपखण्ड अधिकारी	10%	उपखण्ड
3.	अति.जिला कलेक्टर/मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सम्मिलित रूप से)	5%	जिला
4.	जिला कलक्टर	यथासम्भव अधिकाधिक	जिला

उपरोक्त निर्देशों के अतिरिक्त आपदा प्रबन्धन एवं सहायता निर्देशिका के अनुच्छेद 5 में व सूखा प्रबन्धन संहिता में दिये गये प्रावधानों की पालना भी सुनिश्चित की जावे।

भवदीय,

(हस्ताक्षर) 16/3/11

शासन सचिव

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राज0, जयपुर।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज0, जयपुर।
3. विशिष्ठ सहायक, मन्त्री आपदा प्रबन्धन एवं सहायता, राज0, जयपुर
4. विशिष्ठ सहायक, संबंधित जिला प्रभारी मंत्रीगण।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राज0, जयपुर
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (विकास) राज0, जयपुर
7. निजी सचिव, संबंधित जिला प्रभारी सचिवगण।
8. निजी सचिव, शासन सचिव, आ.प्र.एवं सहायता विभाग, जयपुर
9. संभागीय आयुक्त, उदयपुर।
10. मुख्य लेखाधिकारी, आ.प्र.एवं सहायता विभाग, जयपुर।
11. गार्ड फाईल हेतु।

शासन उप सचिव

<u>चारा परिवहन प्रमाण पत्र</u>

यह प्रमाणित किया जाता है कि ट्रक/ट्रेक्टर रजिस्ट्रेशन नंबर .... चालक श्री .... दिनांक .... से दिनांक .... तक ग्राम .... पंचायत ....तहसील .... जिला .... में .... क्विंटल चारा ....(स्थान का नाम) से क्रय किया जाकर ....(गंतव्य स्थान का नाम) तक..............किलोमीटर परिवहन किया गया ।

हस्ताक्षर ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव	हस्ताक्षर पटवारी	हस्ताक्षर सरपंच	हस्ताक्षर पशुपालन/कृषि स्थानीय कर्मचारी पदस्थापित होने पर